



ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की भूमिका: बस्तर संभाग के संदर्भ में

डॉ. नीता बाजपेयी

सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, राज्य एनएसएस अधिकारी, छ.ग. शासन

ABSTRACT

इस शोधपत्र का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास के पक्ष में पहल करने वाली महिलाओं की सक्रिय भूमिका का अध्ययन करना है। यह महिलाओं प्रतिनिधियों के नेतृत्व द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किये गए कार्यों का अध्ययन करना है। यह उन गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करता है जो सामाजिक नवाचार के ढांचे के भीतर विभिन्न आवश्यकताओं का जवाब दे सकती हैं और उदाहरण के लिए, किसान बाजारों, लघु-स्तरीय अर्थव्यवस्था, नागरिक समाज संगठनों, सामुदायिक प्रबंधन और छोटे और मध्यम उद्यमों से संबंधित हैं जो ग्रामीण समुदाय की जरूरतों का जवाब देते हैं। यह उल्लेखनीय है कि महिलाएँ लोकतांत्रिक तरीके से और सहयोग और साझेदारी जैसी अवधारणाओं के आधार पर नेतृत्व करती हैं। इस अर्थ में, शोधपत्र सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ग्रामीण महिलाओं द्वारा संचालित मुख्य सैद्धांतिक धारणाओं और अनुभवों की समीक्षा करता है, इस अर्थ में, ग्रामीण महिलाओं को अपने समुदायों में नेता, परिवर्तन के एजेंट और उद्यमों के रूप में पहचाना जा सकता है। यह शोधपत्र भारत में विकास नीति के प्रक्षेप पथ में स्पष्ट ग्रामीण महिलाओं के कार्य की अवधारणा का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। यह तर्क देता है कि महिलाओं के लिए विकास में स्व-प्रेरित या स्वैच्छिक भागीदारी की विशेषता संरचनात्मक समायोजन की अवधि तक सीमित नहीं है। स्वतंत्रता के बाद के दशकों में विकास पहलों के उपभोक्ता के रूप में नीति के पात्र के रूप में ग्रामीण महिला की अवधारणा में बदलाव के समानांतर ग्रामीण कामकाजी महिला की आधी-अधूरी धारणा बनी हुई है।

KEYWORDS: सामाजिक-आर्थिक, नवाचार, नागरिक समाज, सामुदायिक प्रबंधन, संरचनात्मक।

परिचय:

भारत के संदर्भ में ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया या व्यूह रचना तक ही सीमित कर देना भारतीय जनजीवन के ताना बाना को सतही धरातल तक ही सीमित रखना माना जा सकता है। ग्रामीण विकास तो आदिकाल से हमारे जीवन का अंग रहा है, हमारे मनीषियों ने इसे एक दर्शन और साधना के रूप में स्वीकार किया, यदि रामराज्य से लेकर चाणक्य तक तथा गुप्त वंश से लेकर मध्ययुग तक की ऐतिहासिक रचनाओं पर निगाह डालें तो ऐसा प्रतीत होता है की पूरी की पूरी प्रशासकीय व्यवस्था ग्रामीण स्तर से ऊपर की तरफ गई है, चाहे वह कौटिल्य के जमाने का प्रजातंत्र हो या बाद के काल का राज्यतंत्र सब में ग्रामीण जीवन की सुख सुविधाओं और सर्वांगीण विकास पर ही बल दिया गया है। आजादी के बाद बने भारतीय संविधान और उसमें होते रहे संशोधनों में इस तथ्य को बराबर महसूस किया जाता रहा है कि महिलाओं की भागीदारी सार्वजनिक क्षेत्रों में बढ़ाना आवश्यक है। सन 1959 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तब भी यह माना गया कि देश का समग्र विकास महिलाओं को अनदेखा करके नहीं किया जा सकता। विकास मुख्य रूप से ग्रामीण महिलाओं से प्रभावित है। सतत विकास के लिए आवश्यक परिवर्तनकारी आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिवर्तन उनके कार्यों से सुगम होते हैं। फिर भी, उनके सामने आने वाली कई कठिनाइयों में से एक है ऋण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच की कमी। विश्व खाद्य और आर्थिक संकट, साथ ही जलवायु परिवर्तन, इन मुद्दों को और बढ़ा देते हैं। वैश्विक कृषि कार्यबल में महिलाओं द्वारा दिए जाने वाले

महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, उन्हें सशक्त बनाना लोगों, परिवारों और ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य के साथ-साथ समग्र आर्थिक उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में कृषि श्रमिकों में से अधिकांश महिलाएँ हैं, जो खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण विकास में जनसंख्या के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन में वृद्धि शामिल है। ग्रामीण आबादी के लिए बेहतर अवसर, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भागीदारी में वृद्धि, विकेंद्रीकृत योजना, भूमि सुधारों का मजबूत कार्यान्वयन और वित्तपोषण तक पहुँच में वृद्धि सभी पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व संवैधानिक स्थिति:

पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा पंचायतों में महिलाओं की एक तिहाई भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1992 में 73वां संविधान संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ग्राम सभा का गठन होना अनिवार्य हो गया और ग्राम पंचायतों और सदस्यों की संख्या और सदस्यों की कुल संख्या कम से कम एक तिहाई संख्या महिलाओं की कर दी गई। इस व्यवस्था का प्रभाव यह हुआ कि देशभर में लाखों महिलाएँ पंचायतों के नेतृत्व हेतु मैदान में आ गईं। इस संशोधन के माध्यम से जहाँ एक ओर पंचायती राज व्यवस्था को देश के लोकतांत्रिक प्रशासन के तृतीय सोपान के रूप में संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त हुई वहीं दूसरी ओर महिलाओं के अस्तित्व और अधिकार को भी स्वीकार किया गया। संविधान का यह प्रावधान महिलाओं की छुपी शक्ति को उजागर करने का सार्थक कदम था इसके बाद देश के विभिन्न राज्यों

में पंचायत चुनाव की घोषणा की गई इस चुनाव में लगभग तीस लाख महिलाओं ने भाग लिया। विश्व के किसी अन्य देश में पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 33: सीटों का आरक्षण नहीं किया गया है। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो बिहार के बाद मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पंचायती चुनाव में यह प्रतिशत बढ़ाकर 50: कर दिया गया है। और यह सब इसलिए हुआ की महिलाओं की शक्ति को अब पहचान मिल चुकी है और उन्होंने कही अधिक संवेदनशीलता के साथ अपने पदों पर रह कर न्याय किया है। ग्रामीण राजनीतिक क्षेत्र में कुछ वर्षों पूर्व तक महिलाओं की भूमिका नगण्य रही है तथा पंचायतों में उनका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर रहा है, आज ग्राम पंचायत से जिला पंचायत स्तर की संस्थाओं में महिलाये निर्वाचित हो कर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, यद्यपि महिलाओं के लिए नया क्षेत्र है तथा सामंती मनोवृत्ति से जकड़े पुरुष प्रधान समाज में उन्हें पुरुषों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, परन्तु उसका मुकाबला करते हुए महिलाओं ने अशिक्षित होने के बाद भी अपने आप को ज्यादा संवेदनशील और बेहतर प्रशासक, कम समय में सिद्ध कर दिया है, अब विवश हो कर राजनितिक दलों को भी अधिक से अधिक महिलाओं को सम्मानजनक पद देने पड़ रहे है।

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति :

ग्रामीण विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक तीन पहलु हैं जो परस्पर एक दूसरे से सम्बंधित हैं, इनमें से आर्थिक विकास में महिलाओं का सर्वाधिक योगदान है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा पुरुषों की तुलना में दो गुना अधिक श्रम किया जाता है, जहाँ एक पुरुष प्रतिदिन दस घंटे कार्य करता है वहीं एक महिला प्रतिदिन सोलह घंटे कार्य करती है लेकिन प्रत्यक्ष आय में उसका योगदान कम होता है, अतः उसके योगदान को वह महत्व प्राप्त नहीं होता जिसकी वह अधिकारिणी है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति का प्रश्न है वह स्थिति दयनीय है फिर भी जनतांत्रिक माहौल व महिलाओं की भागीदारी के चलते स्थिति में बदलाव आना प्रारम्भ हो गया है। कुछ समय से देश के कुछ हिस्सों में ग्रामीण महिलाओं ने अभूतपूर्व जाग्रति का परिचय दिया है, कई राज्यों में शराब बंदी लागू करने के पीछे ग्रामीण महिलाओं के आंदोलन की ही एकमात्र भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ में भी इनकी भूमिका उल्लेखनीय है, ग्रामीण महिलाओं ने सामाजिक बुराई तथा अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर उन पर काबू पाने में आशातीत सफलता पाई है। प्रस्तुत अध्ययन में उत्तरदाताओं से यह जानने का प्रयास किया गया की वे अपने चुनावी क्षेत्र में ग्रामीण विकास में उनकी क्या भूमिका होती है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास की अवधारणा बहुत बड़ी एवं एक दूसरे की पूरक है, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते इस कार्य को कौन करवाने में सक्षम है जिसका विवरण निम्नांकित है:

ग्राम पंचायत एवं विकास में भूमिका		
भूमिका	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	179	52.5
नहीं	163	47.5
योग	342	100

ग्राम विकास की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राम विकास के कार्य ग्राम में नाली, सड़क निर्माण के साथ अन्य ग्राम विकास के कार्य को करवाने में कितनी सक्षम है, प्रस्तुत तालिका में 52.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वह ग्राम विकास के कार्य को करवाने में सक्षम है जबकि 47.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि वह ग्राम विकास के कार्य को पूरी सक्षमता के साथ नहीं करवा पाती है। 342 महिला प्रतिनिधियों के साक्षात्कार आधार पर यह निम्नलिखित प्रश्नों का विप्लेषण किया गया। ग्राम स्वच्छता संबंधी कार्य करवाने में उत्तरदाता कितने सक्षम है 93.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है, कि वह ग्राम की स्वच्छता संबंधी कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाती हैं जबकि 6.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि वह कार्य को सफलतापूर्वक नहीं करवा पाती है। शिक्षा एवं स्वच्छता संबंधी तुलनात्मक सारणी से स्पष्ट होता है कि कुल उत्तरदाताओं में से 44 उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की नहीं की उनमें से 41 उत्तरदाता स्वच्छता संबंधी कार्य करवाने में सक्षम है, एवं सभी शिक्षित उत्तरदाताओं में से अधिकांश उत्तरदाता कार्य को पूर्ण करवाते हैं जबकि 6.1 प्रतिशत उत्तरदाता कार्य को संपन्न नहीं करवा पाते हैं। इससे ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा के महत्व का पता चलता है की अशिक्षित की तुलना में शिक्षित उत्तरदाता ज्यादा सफलतापूर्वक कार्य को संपन्न करवा पाता है। अध्ययन की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि महिला प्रतिनिधि उत्तरदाता अपने क्षेत्र में ग्राम विकास के अन्य कार्य (नाली निर्माण, शिक्षा संबंधी, मनोरंगा व अन्य निर्माण कार्य) करवाने में सक्षम है या नहीं क्योंकि परंपरागत समाज एवं परिवार के सदस्य होने के नाते संकोच होना स्वाभाविक है एवं ऐसी अवस्था में ग्राम विकास के अन्य कार्य करवाना बड़ा काम होता है। 26.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में ग्राम विकास के अन्य कार्य करवाने में सक्षम है जबकि शेष 73.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि ग्राम विकास के अन्य कार्य करवाने में सफल नहीं है। जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्राम विकास की अन्य कार्य करवाने में सक्षम है या नहीं के सम्बन्ध में 81.3 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है की ग्राम विकास के अन्य कार्य करवाने में वे सक्षम है जबकि 18.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा की उनको पंचायत एवं ग्राम विकास के कार्य को करवाने में कठनाई महसूस होती है। (ग्राम विकास के अन्य कार्य से मतलब कृषि, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा के कार्य, युवा कल्याण कार्य, एवं ग्राम के कमजोर वर्ग के विकास के कार्य)

निष्कर्ष

ग्राम विकास में महिला नेतृत्व से स्पष्ट होता है की महिला जनप्रतिनिधि आपने क्षेत्र में ग्राम विकास के कार्य चाहे वह कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, कृषि, पशुपालन जैसे अन्य कार्य को करवाने में सक्षम है। तुलनात्मक विप्लेषण के तथ्यों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर शिक्षा, आयु एवं आय सशक्तिकरण के आधार है। ग्रामीण विकास में महिला नेतृत्व की भूमिका में ग्राम विकास में महिला नेतृत्व से स्पष्ट होता है की जनप्रतिनिधि होने के नाते ग्राम विकास की अन्य कार्य करवाने में सक्षम है या नहीं के सम्बन्ध में 81.3 प्रतिशत उत्तरदाता यह मानती है की ग्राम विकास के अन्य कार्य करवाने में वे सक्षम है जबकि 18.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा की उनको पंचायत एवं ग्राम विकास के कार्य को करवाने में कठनाई महसूस होती है। (ग्राम विकास के अन्य

कार्य से मतलब कृषि, पशुपालन, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा के कार्य, युवा कल्याण कार्य, एवं ग्राम के कमजोर वर्ग के विकास के कार्य) कम आय वाले उत्तरदाताओं की तुलना में अधिक आय वाले उत्तरदाता ग्राम विकास के अन्य कार्य को पूर्ण करने में ज्यादा सफल है। जो इस बात को स्पष्ट करता है की धन का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जा रह है। महिला जनप्रतिनिधि आपने क्षेत्र में ग्राम विकास के कार्य चाहे वह कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, कृषि, पशुपालन जैसे अन्य कार्य को करवाने में सक्षम है। तुलनात्मक सारिणी के तथ्यों से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर शिक्षा, आयु एवं आय सशक्तिकरण के आधार है।

संदर्भ सूची

- 1 शाह, जी.; पोलिटिक्स ऑफ शिड्यूलड कास्ट एण्ड ट्राइब्स वोरा एण्ड कं., बम्बई, 1975.
- 2 आर.एन. मुखर्जी, भारतीय सामाजिक संस्थायें सरस्वती सदन दिल्ली, 1975
- 3 भार्गव, बी.एस.; पंचायत राज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टिज, आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1979.
- 4 दरसानकर, ए.आर.; लीडरशिप इन पंचायत राज, पंचशील प्रकाशन, रायपुर, 1979.
- 5 समाजशास्त्र परिभाषा कोश : मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली 1987
- 6 चक्रवर्ती, के. एवं भट्टाचार्य. एस.के.; लीडरशिप फ़ैक्शंस एण्ड पंचायतराज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1993.
- 7 कौशिक, सुशीला; वुमन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, विकास पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1993.
- 8 खत्रा, बी.एस.; पंचायत राज इन इंडिया रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1994.
- 9 दास, प्रभाकर; इमर्जिंग पैटर्न ऑफ लीडरशिप इन ट्रायबल इण्डिया, मानक पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1994.
- 10 गौड, के.के.; भारत में ग्रामीण नेतृत्व का उद्दीयमान स्वरूप, मानक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1997.
- 11 भारद्वाज, अरुणा; पंचायत राज व्यवस्था के वैचारिक आयाम, कन्सेप्ट पब्लिशिंग, नई दिल्ली, 2000.